राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 923/2023

रेखराज स्वामी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व विभाग, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, बूंदी।
4. तहसीलदार, तहसील Talera, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2023
आदेश की दिनांक : 22.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुए उसे समस्त सेवा लाभ देते हुए पदस्थापित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर उप तहसील, डाबी तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर वर्ष 1997 में हुई थी और वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्व बोर्ड, अजमेर है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी राजस्व बोर्ड, अजमेर द्वारा किया गया। उनका आगे यह भी कथन है कि सेल डीड कार्यालय में दिनांक 06.01.2023 को पन्ना देवी एवं लालचंद के बीच एकज्यूक्यूट की गई, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है और उसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया दिनांक 24.01.2023 को की गई, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। अनुलग्नक–5 के

अनुसार सेल डीड की प्रक्रिया दिनांक 06.01.2023 को पूर्ण की गई। पन्ना देवी की शिकायत के आधार पर तीन सदस्यों की कमेटी आदेश दिनांक 06.02.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा गठित की गई। दिनांक 08.02.2023 कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सेल डीड की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई अनियमितता/नियम विरूद्धता नहीं पाई गई, जो अनुलग्नक–7 से प्रकट होता है। आलोच्य आदेश दिनांक 08.02.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी कर अपीलार्थी को बिना किसी कारण के उसके पक्ष को सुने बगैर निलम्बित कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुए उसे समस्त सेवा लाभ देते हुए पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर उप तहसील, डाबी तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी में कार्यरत है। अनुलग्नक–3 के अवलोकन से प्रकट होता है कि सेल डीड कार्यालय में दिनांक 06.01.2023 को पन्ना देवी एवं लालचंद के बीच एकज्यूक्यूट की गई और उसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया दिनांक 24.01.2023 को की गई तथा अनुलग्नक–5 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सेल डीड की प्रक्रिया दिनांक 06.01.2023 को पूर्ण की गई। पन्ना देवी की शिकायत के आधार पर तीन सदस्यों की कमेटी आदेश दिनांक 06.02.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा गठित की गई। अनुलग्नक–5 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि भूमि का पंजीयन नहीं करना तथा राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए श्रीमान् कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें यह शिकायत की गई कि जिस भूमि की खोतदार प्रार्थिया थी तथा प्रार्थिया का फर्जी मुख्तारनामा एक व्यक्ति राजेन्द्र आत्मज मन्ना लाल जाति मीणा बनाकर उक्त फर्जी व बनावटी मुख्तारनामे से भूमि का बेचान एक व्यक्ति लालचंद आत्मज गैंदीलाल के पक्ष में कर दिया है एवं भूमि मिलीभगत से लालचंद के खाते में दर्ज हो गई। उक्त शिकायत के आधार पर कार्यालय उप खंड अधिकारी, तालेडा द्वारा एवं जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर जांच करने हेतु आदेशित

किया गया। इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य संदेहपूर्ण है, जिसके कारण अपीलार्थी को कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 08.02.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निलम्बित किया गया, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल ना होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य